बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8922 दिनांक–20.05.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री ब्रज किशोर सदानन्द, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–844 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध कतिपय आरोप के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5008 दिनांक–24.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं तद्आलोक में श्री सदानन्द द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में किसी वरीय पदाधिकारी को नामित करते हुए संचालन पदाधिकारी के साथ–साथ सामान्य प्रशासन विभाग को भी अवगत करायी जाए।

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8922 दिनांक–20.05.2025 के आलोक में श्री सदानन्द के विरूद्ध संचालित प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में श्री शैलेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/- 28/5/25
(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0नि0(किशनगंज)–53 / 2019– 819 / खाद्य, पटना / दिनांक– 28/05/2025
प्रतिलिपि–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना / श्री शैलेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8922 दिनांक–20.05.2025 की प्रति के साथ) / अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री ब्रज किशोर सदानन्द, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–844 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 28/5/25
सरकार के उप सचिव।

2020/Sec_8/Office Order.Doc